न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 79/17

वीना रानी मिढ़ा पत्नी महावीर प्रसाद मिढ़ा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 11, 23 बी ब्लॉक, गांधी पार्क के पास, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भागीरथ बिश्नोई
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19.08.2020

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा चक 29 जीबी 'ए' के मुरब्बा न. 9 के पत्थर न. 186/408 के किला न. 6 की 0.190 है0 किला न. 7 ता 10 की 1.012 है0, किला न. 21 ता 24 की 1.012 है0, किला न. 25 की 0.190 है0 कुल 2.4040 है0 खातेदारी भूमि की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 खाता संख्या 103 नया, पुराना 97 में अंकित नोट संख्या 9 दिनांक 29.10.2012 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील मीमो संक्षेप मे इस प्रकार है कि जैर अपील आदेश नोट संख्या 9 दिनांक 29.10.2012 खिलाफ कानन, खिलाफ रिकॉर्ड व प्राकतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से निरस्ती योग्य है। जैरअपील आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट का तलब किया गया और ना ही किसी प्रकार की सुनवाई की गई, एक तरफा रूप से कार्यवाही की गई है जैरअपील रकबा अपीलान्ट द्वारा माधूरीदेवी बैवा इन्द्रजीतसिंह जाति राजपूत निवासी शिवपूरी तहसील श्रीविजयनगर से वैध प्रतिफल देकर खरीद किया था। खरीद के आधार पर रकबा का अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है। जैरअपील भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। जैरअपील आदेश बिना जांच के तथा हितबद्व पक्षकार अपीलान्ट को सुने बिना पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश दिनांक 18.11.1996 का हवला दिया गया है उसमें यह रकबा दर्ज ही नहीं है। जैरअपील आदेश का ज्ञान दिनांक 04.05.2017 को जैरअपील रकबा की जमाबन्दी की नकल लेने पर हुआ। जैरअपील आदेश का ज्ञान होते ही नकल प्राप्त करके बिना कोई देरी किये तत्काल अपील प्रस्तुत कर दी। अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए चक 29 जी॰ बी॰ 'ए' की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 खाता संख्या 103 नया, 97 पुराना में अंकित नोट संख्या 9 दिनांक 29.10.2012 को निरस्त किया जावे। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कराने के लिए अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की गइ। रेस्पो॰ को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पो॰ की तरफ से पैरोकार राज उपस्थित आये।
4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पो॰ की तरफ से पैरोकार राज की बहस है कि जमाबन्दी के खाते में अंकित नोट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में लगाया गया है जो एक सही आदेश है। अपील लगभग 05 वर्ष की देरी से प्रस्तुत हुमई है देरी का कोई न्यायोचित एवं सन्तोषजनक कारण नहीं बताया गया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किये जाने योग्य है जिसके फलस्वरूप अपील मियाद बाहर है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपालान्ट द्वारा यह अपील लगभग 05 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई। रेस्पो॰ ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही उन्होंने काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि जैर अपील आदेश अपीलान्ट को सुने बिना, एकतरफा तौर पर पारित किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा पांच मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए, देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर उसका निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के जैरअपील ओदश में निम्नांकित त्रुटियाँ है:–

1. अपीलान्ट जो अधिकार अभिलेख में खातेदार दर्ज है उसको सुने बिना उसकी खातेदारी भूमि को रकबा राज के रूप में दर्ज करने का नोट लगाया गया है। रिकॉर्डेड खातेदार को सुने बिना उसके अधिकार अभिलेख में परिवर्तन या संशोधन किया जाना विधिसम्मत नहीं है।
2. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 3 में अधिनियम के लागू तथा धारा 4 में किसी उपनिवेश को अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहत करने की शक्तियों के प्रावधान दिये गये है। उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने की एक निश्चित है तथा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर किसी क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र या किसी विशेष परियोजना का क्षेत्र घोषित किया जा सकता है तथा उसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा उक्त आशय की अधिसूचना जारी की जाती है।
3. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि किस अधिसूचना से ई॰ गा॰ न॰ प॰ का क्षेत्र घोषित हुई, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी कोई अधिसूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर की टिप्पणी से प्रथम दृष्टता यह प्रतीत होना है कि विवादित भूमि को राज्य सरकार द्वारा ई॰ गा॰ न॰ प॰ का क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। इस प्रकरण की पूर्ण जाँच किये बिना अपीलान्ट के खाते में जैरअपील आदेश का नोट लगाया गया है। तहसीलदार ने इस प्रकरण से सम्बन्धित न तो पूर्ण रिकॉर्ड मंगवाकर उसका अवलोकन किया तथा न ही विस्तृत जाँच की। बिना जाँच पड़ताल किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परित आदेश (नोट लगाया जाना) त्रुटिपूर्ण है।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने नोट में जिन याचिकाओं के निर्णय का हवाला दिया है, उनकी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व्याख्या की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष या आदेश प्रदान नहीं किया है जिससे विवादित रकबा ई॰ गा॰ न॰ प॰ क्षेत्र में घोषित किया जाना साबित होता हो।

6. तथ्यों के उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 29 जी॰ बी॰ 'ए' की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 खाता संख्या 103 नया, 97 पुराना में अंकित नोट संख्या 9 दिनांक 29.10.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देश दिया जाता है कि रिकॉर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर तथा प्रकरण की पूर्ण जाँच पड़ताल की जाकर पुनः विविसम्मत आदेश पारित करें।

आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/20

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला गंगानगर)

Scanned by CamScanner